# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सि[illegible]

**पीठासीन अधिकारी—श्री विवेक व्यास , आर.ए.एस**

राजस्व आवेदन संख्या 91 / 2023

**प्रार्थीगण**

1. भंवराराम पुत्र सोनाराम उम्र 60 वर्ष
2. मलूराम पुत्र सोनाराम उम्र 58 वर्ष जाति लोहार निवासी एड मानजी हाल निवासी कोशलू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर ।

**बनाम**

**विप्रार्थीगण**

1. हरीसिह पुत्र आम्बसिह उम्र 62 वर्ष
2. नरपतसिह पुत्र आम्बसिह 65 वर्ष
3. उदयसिंह पुत्र लालसिह उम्र 40 वर्ष
4. खंगारसिंह पुत्र लालसिह उम्र 32 वर्ष
5. गेनसिह पुत्र रूपसिह उम्र 60 वर्ष
6. बीजराजसिह पुत्र भंवरसिह उम्र 65 वर्ष
7. पतसिह पुत्र अनोपसिह उम्र 50 वर्ष
8. गोपसिह पुत्र अनोपसिह उम्र 48 वर्ष
9. जालमसिह पुत्र भीखसिह उम्र 65 वर्ष जातियान राजपूत निवासीयान एड मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।
10. मेगाराम पुत्र गिरधारीराम उम्र 50 वर्ष
11. शिवजीराम पुत्र गिरधारीराम उम्र 60 वर्ष
12. सिणगारी पत्नि गिरधारीम उम्र 75 वर्ष
13. चमनाराम पुत्र थानाराम उम्र 70 वर्ष
14. राणाराम पुत्र करनाराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी एड मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
15. कालूपुरी पुत्र लालपुरी उम्र 45 वर्ष
16. डूगरपुरी पुत्र मगनपुरी उम्र 35 वर्ष
17. प्रेमपुरी पुत्र लालपुरी 60 वर्ष
18. मगपुरी पुत्र लालपुरी उम्र 70 वर्ष
19. रावतपुरी पत्र मगनपुरी उम्र 40 वर्ष
20. सुगणा पत्नि भंवरपुरी उम्र 55 वर्ष जातियान स्वामी निवासी एड मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
21. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:28 IST
Reason: SelfAttested

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस[illegible]—राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते—विवादित भूमि [illegible] बाबत)**

**उपस्थिति—**

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

## आदेश

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

दिनांक 19.09.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 250/236 रकबा 12.1350 हैक्टेयर, अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 250/236 रकबा 12.1350 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 250/236 रकबा 12.1350 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढ़ो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 250/236 रकबा 12.1350 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 250/236 रकबा 12.1350 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 250/236 रकबा 12.1350 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 19.09.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी